

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15072025-264685 CG-MH-E-15072025-264685

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं.
 510]
 नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2025/आषाढ़ 23, 1947

 No. 510]
 NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2025/ASHADHA 23, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिसूचना

मुंबई, 14 जुलाई, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/251.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, 12 और 19 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 में,-

- I. विनियम 3 में, -
 - क. उप-विनियम (1) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम और परंतुक आ जाएँगे, अर्थात्,-

"(1) बोर्ड यह बता सकेगा कि किन-किन वर्गों के मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) से जुड़ने या उनके यहाँ कार्य करने के लिए किन-किन वर्गों के सहयोगी (सहयुक्त) व्यक्तियों को जरूरी प्रमाणपत्र हासिल करना होगा, और उन्हें यह प्रमाणपत्र उतने ही समय में हासिल करना होगा जो बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले इस उप-विनियम के तहत बोर्ड द्वारा जारी की गई कोई भी अधिसूचना तब तक लागू रहेगी, जब तक कि उसे निरस्त न कर दिया जाए।";

- ख. उप-विनियम (2) हट जाएगा;
- ग. उप-विनियम (4) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों "उप-विनियम (1) और (2) के अधीन अधिसूचना जारी करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित पर विचार करेगा" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "उप-विनियम (1) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पर गौर कर सकेगा" आ जाएँगे।
- II. विनियम 4 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों "सहयुक्त व्यक्ति, प्रधान-व्यक्ति से भिन्न, जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या जिसका विनियम के उन-विनियम (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को विनियम 3 के उप-विनियम (4) में उल्लिखित क्रियाकलापों में प्रतिभूति बाजारों में कम से कम दस वर्षों का अनुभव हो, उप-विनियम (4) में उल्लिखित क्रियाकलापों में प्रतिभूति बाजारों में कम से कम दस वर्षों का अनुभव हो, उप-विनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से सुसंगत प्रवर्ग में प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा।" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "विनियम 3 के उप-विनियम (1) के तहत, बोर्ड द्वारा बताई जाने वाली तारीख तक की स्थिति के अनुसार जिस सहयोगी (सहयुक्त) व्यक्ति (प्रधान-व्यक्ति को छोड़कर) की या तो आयु पचास वर्ष की हो चुकी हो या फिर जिसके पास प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में वे कार्य करने का कम से कम दस वर्षों का अनुभव हो, जिनका जिक्र विनियम 3 के उप-विनियम (4) में किया गया है, उसे संबंधित वर्ग का प्रमाणपत्र उसी तरह हासिल करना होगा जैसा उप-विनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) में बताया गया है।" आ जाएँगे।
- III. विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"6. विनियम 3 के उप-विनियम (4) के खंड (क) से (च) में जिन कार्यों का जिक्र किया गया है उनमें से कोई कार्य करने वाला सहयोगी (सहयुक्त) व्यक्ति ऐसा कार्य आगे तब तक नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह विनियम 3 के उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा बताया गया प्रमाणपत्र (जो मान्य हो) हासिल न कर ले।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./243/2025-26]

<u> पाद टिप्पण :</u>

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007, फा.सं.11/एलसी/जीएन/2007/4567, द्वारा 17 अक्तूबर 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 तत्पश्चात्,-
 - (क) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th July, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CERTIFICATION OF ASSOCIATED PERSONS IN THE SECURITIES MARKETS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/251.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with

sections 11, 12 and 19 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007, namely, -

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) (Amendment) Regulations, 2025.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007, -
 - I. in regulation 3,
 - a. sub-regulation (1) along with the proviso thereto shall be substituted with the following, namely,-

"(1) The Board may specify such categories of associated persons to obtain the requisite certificate for engagement or employment with such classes of intermediaries, and within such time as may be specified by the Board:

Provided that any notification previously issued by the Board under this sub-regulation prior to the coming into force of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) (Amendment) Regulations, 2025 shall continue to remain in force till such time the notification is rescinded.";

- b. sub-regulation (2) shall be omitted;
- c. in sub-regulation (4), the words, symbols and numbers "purpose of issuing notification under sub regulations (1) and (2) shall" shall be substituted with the words, symbols and number, namely, "purposes of sub-regulation (1) may".
- II. in regulation 4, in sub-regulation (3), the words "specified in the notification issued" shall be substituted with the words "as may be specified by the Board".
- III. regulation 6 shall be substituted with the following, namely, -

"6. No associated person engaged in any of the activities mentioned in clauses (a) to (f) of subregulation (4) of regulation 3 shall continue to be so engaged unless such a person holds a valid certificate as specified by the Board under sub regulation (1) of regulation 3.".

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./243/2025-26]

Footnotes:

- The Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 was published in the Gazette of India on October 17, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/ 2007/4567.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 was subsequently amended on –
 - (a) January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.